



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

.....लखीमन कोडरी..... वनाग फामु कोडरी वगैरे.....

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....५०.../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>सोताबाबु</u>... के अप्राथमिकी सं०-०४/18 दिनांक-29-3-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>सोताबाबु थाना को सं० 55/17 दिनांक 9-12/17 धारा 354/323/324/34 I.P.C के अन्वय में जमानत देना है</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उभरो/उनरो प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>11-05-18</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	

11-05-18

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष जमानत दाखिल के दिनांक 28-05-18 को 22वें।


11/5/18

तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधिवक्ता राजरी द्वितीय पत्र अनुपस्थित।
उमय पत्र जवान दायित्व की वृत्तिकांक
26-10-18 को रखें।


26/10/18

26-10-18

अभिलेख उपस्थापित। उमय पत्र
अनुपस्थित। उमय पत्र जवान दायित्व
की वृत्तिकांक 16-11-18 को रखें।


26/10/18

16-11-18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र
अनुपस्थित द्वितीय पत्र क्रमांक 01 उपस्थित
क्रमांक 02 अनुपस्थित। उक्त वाद से
6(6) माह की अवधि छरी ही-चुकी
है अर्थात् वाद कालबाधित ही गया है।
अतः वाद से अभिलेख की कारवारी
बन्द की जाती है।


16/11/18